प्रेस नोट
दिनांक 19.07.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज क्षेत्रांतर्गत झिलाही रेलवे स्टेशन के पास हुई दुःखद रेल दुघर्टना के दृष्टिगत मौके का निरीक्षण कर रिस्टोरेशन कार्य का लिया गया जायजा। ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश :-

गोण्डा। दिनांक 18.07.2024 को थाना मोतीगंज क्षेत्रांतर्गत झिलाही रेलवे स्टेशन के निकट टिकौरा गांव के पास समय करीब 14ः35 बजे चण्डीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हो गयी थी । प्राप्त सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा तत्काल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुॅचकर राहत एवं बचाव का कार्य किया गया , तथा घायलों को समुचित ईलाज हेतु एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी मनकापुर, जिला अस्पताल गोण्डा व एससीपीएम गोण्डा में भिजवाया गया । दुघर्टना में अभी तक 04 लोगो की मृत्यु हुई है जिनके शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है । फोरेंसिक टीम को भी जांच हेतु मौके पर बुलाया गया । आज दिनांक 19.07.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुनः घटना स्थल पर पहुॅचकर घटनास्थ्ल निरीक्षण किया गया । पुलिस द्वारा दुघर्टनाग्रस्त ट्रेन के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट से भी घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी ।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रेलवे के अधिकारियों से बात कर रिस्टोरेशन कार्य के प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा वहां ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.07.2024

थाना कौडिया पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कौडिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 193/2024 धारा 196(1), 298, 299, 302 बीएनएस व 7 सी0एल0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त फैय्याज पुत्र साबिर निवासी ग्राम हड़हा मौजा बिरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी राजू गुप्ता पुत्र श्री शिवशरण गुप्ता निवासी ग्राम बिरवा खास थाना कौडिया जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौडिया पर लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 17.07.2024 को मुस्लिम सम्प्रदाय के कुछ लोगों द्वारा हिन्दू पूजनीय स्थल पर पहुंचकर हिन्दू सम्प्रदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुचाने की नियत से अपमानजनक शब्दों का सम्बोधन करते हुये पूजनीय स्थल दिंगुर बाबा पर लगे पवित्र नीम के पेड़ पर चढकर पूजा स्थान को अपवित्र करते हुये नीम के पेड़ की डालों को काट कर छतिग्रस्त कर दिये है तथा चबूतरे एवं पेड़ पर चढ़ कर हिन्दू सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुचा गया है जिससे गांव व आस पड़ोस के हिन्दू सम्प्रदाय में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कौडिया में मु0अ0स0- 193/2024 धारा 196(1), 298, 299, 302 बीएनएस व 7 सी0एल0 एक्ट बनाम मुण्डे आदि 09 अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था आज दिनांक 19.07.2024 को नामजद अभियुक्त फैय्याज पुत्र साबिर निवासी ग्राम हड़हा मौजा बिरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. फैय्याज पुत्र साबिर निवासी ग्राम हड़हा मौजा बिरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 193/2024 धारा 196(1), 298, 299, 302 बीएनएस व 7 सी0एल0 एक्ट थाना कौडिया गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 रामदेव
02. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह
03. का0 संदीप सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.07.2024, थाना उमरीबेगमगंज

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को शादी करने की नियत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-205/24, धारा 137, 87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त रामू कोरी पुत्र मेवालाल कोरी निवासी नकहरा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को पीडी बन्धा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.07.2024 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी रामू कोरी द्वारा उनकी पुत्री से शादी करने की नियत से बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना उमरीबेगमगंज में मु0अ0सं0-205/24, धारा 137, 87 बीएनएस बनाम रामू कोरी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवचेना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त रामू कोरी पुत्र मेवालाल कोरी निवासी नकहरा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.07.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामू कोरी पुत्र मेवालाल कोरी निवासी नकहरा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-205/24, धारा 137, 87 बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुमित सिंह

02. का0 शेषनाथ यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 19.07.2024, मानिटरिंग सेल</u>

<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट में आरोपी अभियुक्त को हुई 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-</u>

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सोनू उर्फ अंकित पुत्र राजकरन सिंह निवासी छेदीवैश्य पुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा। को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अभियुक्त सोनू उर्फ अंकित पुत्र राजकरन सिंह निवासी छेदीवैश्य पुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री दानबहादुर सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर का0हरेश कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट श्री राजबहादुर रामदेव यादव महोदय द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ अंकित को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>

01. सोनू उर्फ अंकित पुत्र राजकरन सिंह निवासी छेदीवैश्य पुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-163/2018, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।